न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 20/2022
GCMS No. : 2022/94

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री ताराराम कुमावत पुत्र श्री छोगाजी कुमावत मैसर्स एम के ट्रेडिग कम्पनी भैरू चौक सुमेरपुर पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
उपस्थिति :–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.06.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 23.02.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स एम के ट्रेडिग कम्पनी भैरू चौक सुमेरपुर पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया अप्रार्थी की दुकान पर आम जन को ब्रिकी हेतु 15 लीटर घी टीन में रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक हुआ तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर तैयार किया गया जिस पर अप्रार्थी, गवाहान व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त 15 लीटर घी में से 800 एम.एल. घी वास्ते जांच 360/–रूपये में क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी ओ कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित किये, जिसे चारो घी के नमुना पेकेट पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1353 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./635/एक्ट/2022/624 दिनांक 09.03.2022 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से घी का सेम्पल लिया है, जिसका निर्माता प्रार्थी नही है। प्रार्थी एक मात्र हॉलसेल व्यापारी है जो कि निर्माता कम्पनी से जैसे घी पेकेट में प्राप्त होता है उसी रूप में आमजन एवं खुदरा व्यापारियों को बेचता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है। जिसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से पालीवाल ब्राण्ड घी का सेम्पल लिया है जिसका निर्माता अप्रार्थी नही है। घी की खरीद का बिल कही खो जाने से पेश करने में असमर्थ है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती नही करने व सावधानी बरतने का कथन करते हुए कम से कम शास्ती लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2022 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर ताराराम कुमावत उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में मौका फर्द अनुसार अप्रार्थी की फर्म पर आमजन को बेचाण हेतु रखे हुए घी के 15 लीटर टीन से 800 एमएल घी वास्ते जांच हेतु क्रय किया उक्त क्रयसुदा घी को चारों नमूना सीलबन्द करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त घी के संबंध में अप्रार्थी का कहना है कि वह घी का थोक एवं खुदरा व्यापारी है निर्माता नही है वह निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित घी का केवल बेचाण करता है, उसका निर्माण नहीं करता है केवल विक्रेता है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./635/एक्ट/2022/624 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1353 को "The sample of Ghee bearing bearing code No and Sr No R 1353 of designated officer cum chief medical & health officer pali is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of food safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations, 2011.". का माना इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु घी विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली